राजस्व अपील संख्या 36/2024 (2024/35)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी जवाहर चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः– 36/2024

जी.सी.एम.एस. संख्याः– 2024/35

अपीलार्थीपक्षः–

1. दुर्गसिंह पुत्र जवाहर सिंह जाति पुरोहित निवासी ग्राम कानोडिया पुरोहितान तहसील सेखाला जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. पाबूसिंह पुत्र सांगसिंह
2. भींवसिंह पुत्र सांगसिंह
3. कानसिंह पुत्र शंकर सिंह
4. ढेली देवी पत्नि शंकर सिंह
5. पृथ्वी सिंह पुत्र शंकर सिंह
6. भैरूसिंह पुत्र शंकर सिंह
7. रेवत सिंह पुत्र शंकर सिंह

सभी जातियान पुरोहित निवासीगण ग्राम कानोडिया पुरोहितान तहसील सेखाला जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध बंटवारा आदेश क्रमांक/राजस्व /89/268 दिनांक 21.06.1989 जो नायब तहसीलदार बालेसर द्वारा पारित किया गया है।

———

उपस्थितिः–

1. अधिवक्ता श्री नाहर सिंह सोलंकी (अपीलार्थी)।
2. प्रत्यर्थीपक्ष नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित

आदेश दिनांक :– 28.11.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:22 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थीगण ने यह अपील अन्त[illegible] 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत बंटवारा [illegible]/268 दिनांक 21.06.1989 जो नायब तहसीलदार बालेसर द्वा[illegible] पेश की है।

अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर प्रकर[illegible]र्ज रजिस्टर किया गया[illegible]र्थी पक्ष को नोटिस जारी किये गये जो विधिवत तामिल होकर प्राप्त हुए। प्रत्यर्थी पक्ष नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय से इस न्यायालय के पत्र क्रमांक–204

अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

दिनांक 07.07.2023 के द्वारा मूल रिकॉर्ड तलब किया गया किन्तु तहसीलदार शेरगढ़ जिला जोधपुर ने अपने पत्र कमांक– 2199 दिनांक 25.07.2023 के द्वारा अवगत कराया कि इस कार्यालय में कार्यरत सभी शाखाओं से रिकार्ड के संबंध में जानकारी ली गई जिसमें बताया गया कि बंटवारा वर्ष 1989 का लगभग 35 वर्ष रिकार्ड पुराना होने के कारण नहीं मिल रहा है। प्रकरण में अपीलार्थीगण अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस दिनांक 11.11.2024 को सुनी जाकर पत्रावली दिनांक 28.11.2024 को आदेश हेतु रखी गयी।

अपीलार्थी/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 में म्याद अधिनियम में बतलाया कि अपीलाधीन आदेश पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि उक्त अपीलाधीन बंटवारा आदेश किया गया था और न ही उनकी उपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया था। परन्तु हाल ही में रेस्पोडेन्ट के द्वारा मौके पर आकर अपीलांट को मौके से बेदखल करने की धमकी दी गई तब अपीलांट के द्वारा हल्का पटवारी से उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्राप्त होने पर उक्त बंटवारा की सत्यापित प्रतिलिपि हेतु नकल का आवेदन पेश किया गया परन्तु उक्त बंटवारा की सत्यापित प्रतिलिपि तहसील शेरगढ़ में उपलब्ध नहीं होने से प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई जिसके संबंध में कार्यालय तहसीलदार शेरगढ़ के द्वारा दिनांक 13.06.2023 को टीम गठित करके उक्त बंटवारा के दस्तावेज/रेकर्ड को ढुंढने का प्रयास किया परन्तु उक्त बंटवारा के दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं मिल पायी। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किया जाकर उक्त अपील का निस्तारण मेरिट पर किया जाकर उक्त अपील अंदर म्याद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने गुणावगुण बहस में बतलाया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रकिया अपनाये उक्त आदेश पारित किया है जिसमें अपीलांट की कोई सहमति नहीं थी और न ही उसके हस्ताक्षर थे, न ही उनकी उपस्थिति में उक्त आदेश पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का आवेदन नहीं किया गया न ही उनकी ओर से कोई बंटवारा के प्रार्थना पत्र में सहमति दी गई और न ही उनकी ओर से बंटवारा पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय कोई मौके की जॉच नहीं की गई और न ही हल्का पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक से मौके की रिपोर्ट ली गई क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश अनुसार अपीलांट को खसरा संख्या 11 हिस्से में दिया गया था परन्तु अपीलांट का भौतिक कब्जा खसरा संख्या 11/1, 11/2 [illegible] 603/1 में है जिसमें अपीलांट का कृषि टयूबवेल खुदा हुआ है तथा [illegible] हुआ है व रहवासीय मकान, शौचालय बना हुआ है तथा [illegible] को उक्त बंटवारा अनुसार हिस्से में खसरा संख्या 11/1, 11/2, 603 व 60[illegible]1 दिया गया था परन्तु रेस्पोडेन्ट का उक्त खसरों में कब्जा नहीं होकर खसरा संख्या 11 में है अर्थात बंटवारा मौके से विपरित

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:22 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

किया गया है जिसमें अपीलांट को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उक्त अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी मौखिक बहस में आगे कथन किया गया कि बंटवारा के आदेशानुसार अपीलांट दुर्गसिंह पुत्र जवाहर सिंह के हिस्से में खसरा संख्या 11 रकबा 20 बीघा ही बंट में आता है जो नामान्तकरण संख्या 302 ग्राम कनोडिया पुरोहितान जिसे उप तहसीलदार बालेसर द्वारा दिनांक 29.06.1989 को स्वीकृत किया गया एवम रेस्पोडेन्ट को खसरा संख्या 11/1, 11/2, 603 व 603/1 के हिस्से में रखी गयी थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में मौके के विपरित जाकर राजस्व कर्मचारियों ने मिली भगत करते हुए बिना मौके की जॉच किये एवम फर्जी तरीके से बंटवारा कार्यालय में बैठकर तैयार किया गया। अपीलांट की अगर उक्त आदेश में सहमति होती तो मौके के अनुसार उक्त बंटवारा किया होता और मौके की स्थिति भिन्न नहीं होती परन्तु अपीलांट की बिना सहमति ही उक्त बंटवारा आदेश पारित किया गया जो विधि के विरूद्व एवम मौके के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। बहस में अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी ने अधीनस्थ नायब तहसीलदार बालेसर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.1989 को अपास्त किया जाकर खसरा संख्या 11, 11/1, 11/2, 603 व 603/1 की मौके की स्थिति के अनुसार अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण को नवीन बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर रिमाण्ड किये जाने की प्रार्थना की।

हमने अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। अपील का गुणावगुण पर निर्णय करने से पूर्व धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करना उचित समझते है।

1. नायब तहसीलदार, बालेसर द्वारा पारित आदेश क्रमांक–राजस्व/89/268 दिनांक 21.06.89 की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की है तथा न ही मूल पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त हुई है। तहसीलदार शेरगढ़ ने पत्रांक–राजस्व/2023/2199 दिनांक 25.07.2023 से सूचित किया है कि उक्त बंटवारा से संबंधित पत्रावली कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तथा रिकार्ड 35 वर्ष पुराना होने के कारण रिकार्ड में नहीं मिल रहा है।
2. धारा 90 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 – 30 वर्ष पुराने दस्तावेजों के बारे में उपधारणा– जहां कोई दस्तावेज, जो तीस वर्ष पुराना तात्पर्यित है या साबित हुआ है, किसी ऐसी अभिरक्षा में से पेश किया जाता है जिसे न्यायालय उस विशिष्ठ मामले में उचित समझता है, वहां न्यायालय उपधारणा कर सकता है कि ऐसे दस्तावेज का हस्ताक्षर और प्रत्येक अन्य भाग जिसके बारे में विशिष्ठ व्यक्ति के हस्तलेख में होने का तात्पर्यित है, इस स्थापना की हस्तलेख में है, और निष्पादित या अनुप्रमाणित दस्तावेज की दशा में वह उस व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप से निष्पादित और अनुप्रमाणित किया गया है जिनके द्वारा उसका निष्पादित और अनुप्रमाणित होना तात्पर्यित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:22 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई। जिन्होनें अपील मीमो में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलांट ने अपीलाधीन बंटवाड़ा आदेश द्वारा किए गए बंटवारा के सहमति पत्र पर कभी भी हस्ताक्षर नहीं किए है तथा उसकी कभी भी सहमति नहीं रही। नामान्तकरण संख्या 302 अनुसार अपीलांट के हक में खसरा नं 11 में से 20 बीघा भूमि दी गई है, जिस पर अपीलांट का कोई कब्जा-काश्त नहीं है उसका वास्तविक कब्जा खसरा नं 11/1, 11/2, 603 व 603/1 पर है, जो वर्तमान में प्रत्यार्थियों के नाम से गलत रूप से दर्ज है।

निष्कर्षः- अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.1989 की पालना में ग्राम कनोडिया पुरोहितान का नामान्तरकरण संख्या 302 दिनांक 26.06.1989 को उपतहसीलदार बालेसर द्वारा स्वीकृत किया गया है जिसके कॉलम संख्या 14 में पटवारी द्वारा निम्नानुसार इन्द्राज किया गया हैः-

"श्रीमान् नायब तहसीलदार बालेसर के आदेश क्रमांक-राजस्व/89/268 दिनांक 21.6.1989 के अनुसार नामान्तरकरण भरकर वास्ते जॉच व स्वीकृति पेश है"

उक्त नामान्तकरण की जॉच भू.अ. निरीक्षक चामू द्वारा की गई तथा उप तहसीलदार बालेसर द्वारा दिनांक 29.06.1989 को नामान्तकरण संख्या 302 स्वीकृत किया गया है। उक्त नामान्तकरण में अंकित इन्द्राजों अनुसार ग्राम कानोडिया पुरोहितान का खसरा नं 11 रकबा 23-06 बीघा, खसरा नं 603 रकबा 12-12 बीघा सांग सिंह, शंकर सिंह पिता देवी सिंह 1/2, दुर्ग सिंह पुत्र जवाहर सिंह 1/2 हिस्सा दर्ज थी, जो उक्त अपीलाधीन बंटवारा आदेश दिनांक 21.06.89 अनुसार निम्न प्रकार से विभाजित की गईः-

1. सांग सिंह - खसरा नं 11/1 रकबा 1-13 बीघा
   खसरां नं 603 रकबा 6-06 बीघा
2. शंकर सिंह- खसरा नं 11/2 रकबा 1-13 बीघा
   खसरा नं 603 रकबा 6-06 बीघा
3. दुर्ग सिंह - खसरा नं 11 रकबा 20 बीघा

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर

उक्तानुसार सांग सिंह को 7-19 बीघा, शंकर सिंह को 7-19 बीघा, शंकर सिंह को 7-19 बीघा तथा दुर्ग सिंह को 20 बीघा भूमि दी गई है तथा खसरा नं 11 व 603 की भूमि की किस्म बारानी प्रथम है। इस प्रकार अपीलांट को इस बंटवारा में करीब 12 बीघा भूमि अधिक है। जिसका राजस्व अभिलेखों में दिनांक 29.06.1989 को ही अमल दरामद हो चुका है तथा ये इन्द्राज लगभग 34 वर्ष पुराने है तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो रहा है परन्तु 34 वर्ष पुराने राजकीय अभिलेखों में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा किए गए इन्द्राजों को 34 वर्ष बाद मूल रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने के आधार पर अपास्त करना न्यायोचित नहीं है तथा जो इन्द्राज किए गए है वे उचित अभिलेखों में सक्षम राजकीय अधिकारियों द्वारा संधारित अभिलेखों में लगातार निर्बाध रूप से पिछले 34 वर्षो से चले आ रहे है जिसके सही होने की उपधारणा साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 90 में यह न्यायालय करना न्यायोचित व उचित मानता है। बंटवारा दिनांक 21.06.89 के अनुसार नक्शा किश्तवार में तरमीम भी की हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:22 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

उपर्युक्त अभिलेखीय व वस्तुस्थिति के अतिरिक्त अपीलांट द्वारा 34 वर्ष की देरी के बाद यह अपील पेश की है। देरी को कन्डोन करने हेतु अपील के साथ म्याद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है जिसका एक मात्र आधार विवादास्पद इन्द्राजों की जानकारी हाल ही में रेस्पोडेन्ट द्वारा मौके पर अपीलांट को बेदखल करने की धमकी दी तब रिकार्ड की पटवारी से जानकारी लेने पर, होना बताया है। उक्त आधार मानने योग्य नहीं है क्योंकि यह एक साधारण व बिना निश्चित तिथि के आधार पर किया गया है तथा असंगत कथन होने से मानने योग्य नहीं है। अतः देरी को कन्डोन करने का प्रार्थना पत्र आधारहीन व बेबुनियाद आधारों पर होने से अस्वीकार किया जाता है। म्याद बिन्दु के आधार पर खारिज करने योग्य होने के अतिरिक्त उपरोक्त विवेचनानुसार मेरिट पर भी अपील बलहीन होने से खारिज योग्य होने से अस्वीकार की जाती है।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 28.11.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:22 IST
Reason: SelfAttested